कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन
Office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities

सत्यमेव जयते

स्वावलम्बन
Swavlamban

THE DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

iProbono INDIA

पुलिस के लिए मार्गदर्शिका
विकलांगजनों के साथ कैसे काम करें

बाह्य एवं डिजिटल संरचना

- मजबूत रैंप का निर्माण करें जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को सहारा दे सके स्पर्शनीय नक्शे, और सुलभ शौचालय में ग्रैब-बार उपलब्ध कराएं;
- वाहनों में व्हीलचेयर के लिए आवश्यक स्थान बनाएं और उन्हें उठाने के लिए उचित यन्त्र से लैस करें;
- आवश्यक होने पर उनके घर जाकर सेवाएं प्रदान करें;
- ऐप्स को यूज़र-फ्रेंडली बनाएं, जिनमें स्क्रीन रीडर के लिए पठनीय टेक्स्ट और सांकेतिक भाषा में वीडियो समझाने वाले हों;
- चित्रों के लिए वर्णनात्मक वैकल्पिक टेक्स्ट (alt text) का उपयोग करें और दस्तावेज़ों को सुलभ प्रारूपों (ePUB या OCR-आधारित PDFs) में उपलब्ध कराएं।

शोषण और हिंसा के मामलों में उचित प्रतिक्रिया

- विकलांग व्यक्तियों (PWD) को सूचित करें की वे कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सुरक्षा प्राप्त करने की मांग कर सकते हैं;
- पुनर्वास प्रदान करने वाली नजदीकी संस्थाओं और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्रदान करें;
- सुनिश्चित करें कि जन स्वास्थ्य संस्थान ऐसे किसी व्यक्ति को प्रवेश से वर्जित न करें जिन पर उन्हें मानसिक बीमारी होने का संदेह हो;
- सुनिश्चित करें कि विकलांग व्यक्तियों को त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के लिए बनाये गए विशिष्ट न्यायालय की जानकारी दी गयी है।

(धारा 7, RPD अधिनियम, 2016)

विकलांग व्यक्तियों के साथ स्पष्ट संचार

चाहे विकलांग व्यक्ति (PWD) आरोपी , पीड़ित, गवाह हो, या पुलिस से सहायता की मांग कर रहें हो , विकलांग व्यक्ति (PWD) से बात करें और उनकी समस्याओं के लिए पर्याप्त समय दें। अगर किसी के पास एक देखभालकर्ता है, तब भी विकलांग व्यक्ति (PWD) को ही जानकारी दें।

श्रवण बाधिता के लिए: संचार करने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करें जैसे टेक्स्ट संदेश, सांकेतिक भाषा के साथ वीडियो कॉल और दस्तावेज़ों का अनुवाद। व्यक्ति के सुविधा अनुरूप संचार के कई तरीकों के विकल्प दें।

दृष्टि बाधिता के लिए: जानकारी को ऑडियो रिकॉर्डिंग या ब्रेल जैसे सुलभ प्रारूपों में प्रदान करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी उस प्रारूप में उपलब्ध हों जिसे व्यक्ति आसानी से उपयोग कर सके।

मानसिक रोग, बौद्धिक विकलांगता , संज्ञानात्मक विकलांगता के लिए: संचार को सरल बनाने के लिए चित्रों या पिक्टोग्राम का उपयोग करें। विशेष शिक्षकों या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की सहायता लें और यह सुनिश्चित करें कि वातावरण विकलांग व्यक्ति के अनुकूल हो।

(धारा 12, RPD अधिनियम, 2016)

जांच के दौरान, बयान दर्ज करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें

- विकलांग व्यक्तियों को पूरी तरह से अपनी बात व्यक्त करने दें और बयान की एक प्रति उनकी सुविधा अनुकून उचित माध्यम में प्रदान करें। अगर किसी को अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो, तो एक शांत जगह प्रदान करें और सुनिश्चित करें कि वे सही तरीके से बयान की समीक्षा, हस्ताक्षर और पुष्टि कर सकें;
- कानूनी शब्दावली से परिचित किसी पेशेवर सांकेतिक भाषा अनुवादक या परिवार के सदस्य की सहायता लें;
- यह सुनिश्चित करें कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) की निगरानी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाए, जो विकलांग पीड़ितों के लिए सुगम्य हो। पारदर्शिता के लिए प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्ड करें;
- एक महिला पुलिस अधिकारी को विकलांग महिला का बयान उनकी सुविधा-अनुसार चुनी गयी जगह पर दर्ज करना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो एक अनुवादक या सहायक व्यक्ति प्रदान करें। बयान की सटीकता के लिए इस प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी की जानी चाहिए।

गिरफ्तारी के दौरान संवेदनशील व्यवहार

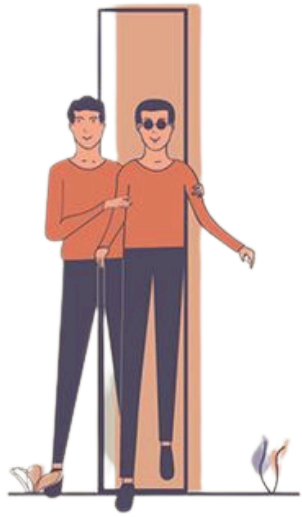

- सुनिश्चित करें कि गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप हो और विवेकाधीन ना हो। गिरफ्तारी के दस्तावेज़ों के साथ किसी भी विकलांगता प्रमाणपत्र को संलग्न करें और पहली पेशी के दौरान जज को विकलांगता के बारे में सूचित करें।
- सुनिश्चित करें कि व्यक्तिगत सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र व्यक्ति के साथ रहें। सहायक उपकरणों को सावधानी से संभालें और सुनिश्चित करें कि वे क्षतिग्रस्त ना हो या हट नहीं जाएं।
- आरोपी के अधिकारों की जानकारी को सुलभ साधनों का उपयोग करके समझाना चाहिए। बधिर व्यक्तियों को विशेष रूप से हथकड़ी लगाने से बचें; इससे उनकी सांकेतिक भाषा में बात करने की क्षमता प्रभावित होती है।

नोट: कृपया विकलांग व्यक्तियों के साथ संचार करने के तरीके के लिए पृष्ठ 1 पर देखें।

मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना

- यदि किसी मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या वह उपेक्षित है, तो मजिस्ट्रेट को सूचित करें।
- यदि कोई मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति भटक गए हो या जोखिम में हो, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें और उनकी सहायता करें। ऐसे लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करें और उनके परिवार का पता लगाने का प्रयास करें।
- यदि सुरक्षात्मक कार्यवाही की आवश्यकता हो, उस व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि को इसके कारण समझाएं।
- व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर चिकित्सीय मूल्यांकन के लिए एक जन स्वास्थ्य सुविधा में ले जाएं।
- व्यक्ति को लॉक-अप या जेल में न रखें। यदि व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें घर या सरकारी आश्रय में वापस भेजें।

धारा 89 के अंतर्गत RPD अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित किया गया है।
प्रथम अपराध के लिए ₹10 हज़ार तक का अर्थदंड और उसके उपरान्त किये गए अपराध के लिए अर्थदंड न्यूनतम ₹50 हज़ार और अधिकतम ₹5 लाख रूपए तक जा सकता है।

RPD अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अपराध)

- कोई क्रूर कार्य जिसमे शारीरिक चोट शामिल हो;
- समाज के सामने अपमानित करना या नीचा दिखाना;
- शारीरिक रूप से हमला करना या दुर्व्यवहार करना;
- खाना या तरल पदार्थ देने से मना करना;
- एक बच्चे या महिला का यौन शोषण करना;
- उनके सहायक उपकरणों को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना;
- किसी महिला पर बिना उसकी सहमति के चिकित्सा प्रक्रिया करना।

ये अपराध छह महीने से लेकर पांच साल तक की जेल और जुर्माने से दंडनीय हैं।

RPD अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना (धारा 89)

- **पहला अपराध -- अधिकतम जुर्माना ₹10,000/-**
- **दूसरे अपराध पर; ₹50,000 से ₹5 लाख तक का जुर्माना।**

यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों से लाभ प्राप्त करता है (धारा 91)

- **अधिकतम जुर्माना एक लाख रुपये; या**
- **दो साल तक की कैद या दोनों।**

NYTIMES

BNS, 2023 के तहत अपराधों की सूची

मानसिक या शारीरिक विकलांगता वाली महिला के साथ बलात्कार (धारा 64(2)(क))

कम से कम दस साल की सख्त कैद, जो जुर्माने के साथ अपराधी के शेष जीवनकाल अथवा आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है।

गंभीर चोट (धारा 116)

चोट जिसके परिणामस्वरूप;

- प्रजनन क्षमता का नुकसान (नपुंसकता),
- एक या दोनों आंखों की स्थायी दृष्टिबाध्यता,
- एक या दोनों कानों की स्थायी श्रवण शक्ति का नुकसान,
- किसी अंग या जोड़ का नुकसान,
- किसी अंग या जोड़ के कार्य में स्थायी क्षति,
- सिर या चेहरे की स्थायी विकृति,
- किसी हड्डी या दांत का टूटना या हिल जाना,
- कोई भी चोट जो जीवन के लिए संकटप्रायः हो, 15 दिनों तक गंभीर दर्द का कारण बने, या व्यक्ति को अपना नियमित कार्य करने से वर्जित करे।

जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता या स्थायी निष्क्रिय अवस्था हो (धारा 117(3))

कम से कम दस साल की सख्त कैद, जो अपराधी के शेष जीवनकाल अथवा आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है।

ऐसिड द्वारा स्थायी या आंशिक क्षति (धारा 124(1))

कम से कम 10 साल की कैद, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है, और पीड़ित के चिकित्सा के खर्च की भरपाई

ऐसिड फेंकने का प्रयास (धारा 124(2))

कम से कम 5 साल की कैद, जो सात साल तक बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माना।

संबंधित अधिनियम और दिशानिर्देश

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPD अधिनियम);
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (MHC अधिनियम);
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS);
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS);
- पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPRD), गृह मंत्रालय। (2021)। पुलिस थानों, जेलों और आपदा प्रबंधन केंद्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत विशेष निर्माण अवसंरचनाओं और संबंधित सेवाओं के मानक/दिशानिर्देश। भारत सरकार। (गृह मंत्रालय, AIC दिशानिर्देश, 2021);
- पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2021), भारत के सर्वोच्च न्यायालय, आपराधिक अपील संख्या 452 का दिशानिर्देश।

कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन
Office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities

स्वावलम्बन
Swavlamban
THE DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

iProbonoINDIA

संपर्क करें

www.i-probono.in

communications@i-probono.com

+91 11 4751 3134

/@iprobonoindia /@iProbono /@iProbonoIndia